न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 46 / 2017

श्रीमती सम्पत देवी पत्नी श्री राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 14, बालाजी मन्दिर के पास, लोसल तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर जरिये मु0 आम श्री ओमप्रकाश भारूका पुत्र श्री नन्दलाल जाति अग्रवाल निवासी ग्राम डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़ वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 30.03.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2073 में श्रीमती सम्पतदेवी पत्नी श्री राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 14 बालाजी मन्दिर के पास, लोसल तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर ने ग्राम रूपनगढ़ के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 962 किस्म गैर मुमकिन नदी में से 1.08 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से नमक क्यार बनाकर कब्जा कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 56/2016 पंजीबद्व कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 14.09.2016 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम की गई। अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 14.09.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2016 को प्रकरण दर्ज कर उस दिन ही अपीलान्ट को बिना

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विधिवत नोटिस दिये एवं बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एवं अपीलान्ट के पति पर एक पक्षीय आदेश पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश साइक्लोस्टाइल निर्णय में खानापूर्ति करते हुए निर्णय प्रदान कर दिया है जो निर्णय की परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है यदि फिर भी अतिक्रमण मान भी लिया जाता है तो अपीलान्ट द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। अपीलान्ट अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से नमक क्यार बना कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक गैर मुमकिन नदी दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि है जिसका किसी भी व्यक्ति को आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाया है तथा न ही उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साइक्लोस्टाइल निर्णय है जिनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है जो किसी भी प्रकार से आदेश की परिभाषा की परिधि में नहीं आ सकता।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार रूपनगढ़ को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner